

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 21.07.25

रीडर/2025/6257  
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

लॉगा खान पुत्र अहमद  
खान जाति मुसलमान  
निवासी अबड़ासर रनाई  
नाडी हाल निवासी नया  
मलवा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 दूरा खान 2 नूरा खान 3 मोहम्मद खान पिसरान बचल खान  
4 जागणा खान पुत्र इदल खान 5 काबल खान पुत्र सुमार  
खान 6 जसुब खान 7 ईसाक खान पिसरान हाजी खान 8  
इसमाइल खान पुत्र हाजी खान के कायम मुकाम 8/1 हमीर  
खान पुत्र इसमाइल खान 9 अलाना खान पुत्र सिद्धा खान के  
कायम मुकाम 9/1 उमरा खान 9/2 बरकत अली पिसरान  
अलाना खान 9/3 मोहनत पत्नी अलाना खान 10 नसार खान  
पुत्र उम्मेद खान 11 संगोरा खान पुत्र लुका खान 12 रमजान  
खान 13 भीखा पिसरान रिड़मल खान 14 अदरूप खान पुत्र  
मगाखां 15 सरपंच खान पिसरान मगा खान 16 हाजी नसीर  
17 भूरा खान 18 बरकत खान पिसरान उम्मेद खान 19  
समसुद्दीन खान पुत्र हाजी सता जाति मुसलमान निवासी  
अबड़ासर रनाई नाडी हाल निवासी नया मलवा तहसील व  
जिला बाड़मेर 20 सुनिल के. मेराजा पुत्र कानाराम जाति  
प्रजापत निवासी लक्ष्मीनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 316/2008

दिनांक- 08/07/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अबड़ासर पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 44, 57, 241/107 व मौजा मलवा के खसरा संख्या 257/107 के खेतों की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 359/2022 अनवान लोंगाखान वगैराह बनाम राजस्थान सरकार वगैराह आदेश दिनांक 07.01.2025 की पालना करते हुए उक्त भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगाढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। पुलिस उप अधीक्षक वृत बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार बाड़मेर की आवश्यकतानुसार निर्धारित तिथि को पर्याप्त पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में शान्ति व्यवस्था के साथ उक्त कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/6258-62

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

21.07.25

1. पुलिस उप अधीक्षक वृत बाड़मेर।
2. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
3. पटवारी दूदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी लॉगा खान पुत्र अहमद खान जाति मुसलमान निवासी अबड़ासर रनाई नाडी हाल निवासी नया मलवा तहसील व जिला बाड़मेर।
5. विप्रार्थी दूरा खान पुत्र बचल खान वगैराह निवासी अबड़ासर रनाई नाडी हाल निवासी नया मलवा तहसील व जिला बाड़मेर।

(वीरमा राम)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर